(128)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 244 दिनांकः– 29.3.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– कोचेडेगा–रामरेखाधाम से छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य हेतु 7.771 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 434 दिनांक 27.01.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा मांगी गई वांछित प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 426 एवं 427 दिनांक 18.03.2017 छायाप्रति संलग्न द्वारा प्राप्त है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के प्रतिवेदनानुसार पृच्छाओं का निराकरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	शर्तें	अनुपालन
(क)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है। **अनुलग्नक–I**
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 7.771 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की कुल राशि रू0 2772759.00 मात्र ad-hoc Campa के Saving bank account number 344902010105420, IFSC code – UBIN0534498, Union Bank of India Sundar Nagar New Delhi-110003 में Bankers Cheque no. 129275, dt:- 08.03.2017 के माध्यम से जमा कर दिया गया है। **अनुलग्नक–II**
(ग)	यदि NPV के दर में कोई संशोधित होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र समर्पित की गई है। **अनुलग्नक–III**
(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की कुल राशि कैम्पा खाता में जमा कर दिया गया है। **अनुलग्नक–II**
(ड.)	प्रस्तावित वन भूमि में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 314 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है। **अनुलग्नक–I**

D:\SUNIL\Proposal (K)\Road\Kochedega-Ramrekha-Chatisgarh Road Weddening, (7.771 ha)

(च)	पथ निर्माण के उपरांत पथ के दोनों किनारों पर जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिशिचित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी है। **अनुलग्नक–I**
(छ)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है। **अनुलग्नक–I**
(ज)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है। **अनुलग्नक–I**
(झ)	यदि गैर वन भूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरी कोई धन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसका समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है। **अनुलग्नक–I**
(ञ)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी या प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है। **अनुलग्नक–I**
(ट)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है। **अनुलग्नक–I**
(ठ)	सुर्यास्त से सूर्योदय तक सामान्यतः वन भूमि पथ निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है। **अनुलग्नक–I**
(ड)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका– 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के आलोक में कोई टिप्पणी नहीं दी गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में गुमला वन प्रमंडल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया जायेगा एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। इसके साथ ही नियमानुसार कार्यानुमति देने हेतु वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुंमला ने सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा C.A. Levies Format भर कर दिया गया है, अतः कार्यानुमति देने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 244 **दिनांक** 29.3.17

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

28.3.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\Road\Kochedega-Ramrekha-Chatisgarh Road Weddening, (7.771 ha)